संख्याः नि0 1507 / 3–2(सामा0 अधि0)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in /
फोन / फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

1–आहरण वितरण अधिकारी / अपर प्रमुख वन संरक्षक,
प्रबन्ध,अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हल्द्वानी।
2–आहरण वितरण अधिकारी / अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण देहरादून।

(I.T. h.c)

देहरादून दिनांक 16 नवम्बर 2021.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–001–03–00–सामान्य अधिष्ठान" के अन्तर्गत बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या–967/X-2-2021-12(19)2021 दिनांक 09 अप्रैल,2021(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी.S21040270003 दिनांक 09.04.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–001–03–00–सामान्य अधिष्ठान"के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष शासन से वर्तमान में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹4,87,75,06,000 / –(₹चार अरब सतासी करोड़ पिचहत्तर लाख छः हजार मात्र) में से मानक मद–01–वेतन 03–मंहगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते, एवं 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान हेतु अवमुक्त धनराशि ₹3,54,00,06,000 / –(₹तीन अरब चौवन करोड़ छः हजार मात्र) को Global Budgeting व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर H.O.D.Code में रखे जाने के उपरान्त पूर्व में विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त / जारी की गयी धनराशि ₹43,48,02,000 / –(₹तैतालीस करोड़ अढ़चालीस लाख दो हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त / जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹2,05,000 / –(₹दो लाख पॉच हजार मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाइन निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ बजट का आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती हैः–

1– सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

2–अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय किस्तों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–**423/09(150)-2019/ XXVII(1)/2021** दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4–अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5–आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आउटसोसिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो के अन्तर्गत ही रहेगी।

6– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाय।

7–आवंटित / जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

–2/–

संख्याः नि0 1507(1)/3–2(सामा0 अधि0) तददिनांकित।

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून एवं हल्द्वानी,उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
7–प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
8–उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

I.T. G.L
अपलोड कर दें
C.C.F
17.11.2021

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Haldwani(0700)

DDO-Addl PCCF Management Reserch(4319)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1507/3-2

अनुदान संख्या-027

आवंटन आई डी-H21110270001

आवंटन पत्र दिनांक-16-NOV-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

001-निदेशन तथा प्रशासन

00-सामान्य अधिष्ठान

01-Forestry

03-सामान्य अधिष्ठान

Voted

2	4	0	6	0	1	0	0	1	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	10000	20000	0	30000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15000	35000	0	50000
22-कार्यालय व्यय	50000	50000	0	100000
योग	75000	105000	0	180000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,05,000 (Rupees One Lac Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2111:0001

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-Addl PCCF Nodal Offic soil Conser(4260)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1507/3-2

आवंटन आई डी-H21110270002

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-16-NOV-2021

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	01-Forestry
	001-निदेशन तथा प्रशासन	03-सामान्य अधिष्ठान
	00-सामान्य अधिष्ठान	Voted

2	4	0	6	0	1	0	0	1	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	20000	100000	0	120000
योग	20000	100000	0	120000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2111:0002

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून